रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2003/आश्विन 7, 1925
No. 470] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2003/ASVINA 7, 1925

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 770(अ).—भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 16 जुलाई, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 16 जुलाई, 2003 के पृष्ठ 1 पर प्रकाशित की गई थी, पंक्ति 16 में प्रविष्टि-1 (1) में "(.....संशोधन)" शब्द के स्थान पर "(छठा संशोधन)" शब्द पढ़ें।

[फा. सं. एक्स. 11014/3/2002-डी एम एस एंड पी एफ ए]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th September, 2003

G.S.R. 770(E).—In the Notification of Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 548(E) dated the 16th July, 2003 published at page 2 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 16th July, 2003, entry 1(1) line 1 for "(.....Amendment)" read "(Sixth Amendment)".

[F. No. X-11014/3/2002-DMS & PFA]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.